



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022020-215924
CG-DL-E-05022020-215924

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]
No. 378]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2020/माघ 8, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2020/MAGHA 8, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2020

का.आ. 410(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5644(अ) तारीख 30 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 नवम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, 1967 में घोषित प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य 17.29 वर्ग किलोमीटर (1728.81 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है और 2013 में घोषित खंड-ख, 5.22 वर्ग किलोमीटर (521.36 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है और तमिलनाडु राज्य में नागापट्टीनम जिला के वेदारान्यम तालुक में स्थित है। यह नागापट्टीनम के दक्षिण में 60 किलोमीटर और जहां पलक जलसंधि बंगाल की खाड़ी से मिलती है में स्थित है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 22.51 वर्ग किलोमीटर है;

और, अभयारण्य दक्षिणी भारत में काला हिरण ब्लैकबक की सबसे अधिक संख्या का पर्यावास है स्थानीय रूप से वेलिमें के रूप में जाना जाता है, काला हिरण ब्लैकबक भारत में खुले भू-भाग के बहुत कम पशुओं में से एक है। अभयारण्य के दक्षिणी भाग में स्थित घास भूमि ब्लैकबक के प्राकृतिक पर्यावास का स्थान है;

और, अभयारण्य पारिस्थितिकी-प्रणाली उष्णकटिबंधीय शुष्क-सदाबहार वन, खुले घासभूमि और ज्वारीय मिट्टी फ्लैट का अद्वितीय मिश्रण है, जो देश में एकमात्र किस्म का है। यह देश में अद्वितीय शुष्क-सदाबहार वन का सबसे बड़ा फैलाव का एक वास है;

और, अभयारण्य और उसके आसपास की आर्द्रभूमि उत्तर से जलीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान है। अभयारण्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो समेत प्रवासी जल पक्षियों की लगभग 100 प्रजातियां सितंबर के बाद से इसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगती हैं और उत्तर में वापस जाने से पहले जनवरी तक यहां रहती हैं। अभयारण्य तट लुप्तप्राय ओलिवे रिडले कछुए का नियमित घोंसला स्थल है;

और, प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खण्ड-ख में वनस्पतिय और जीवजंतु की अच्छी विविधता है। संरक्षित क्षेत्र में मुख्य वनस्पति सफेद बबूल (*अकैशिया लेउकोफलोया*), नीम (*अजादीराचट इंडिका*), बाघ बीन (*देलनीक्स ईलाटा*), पीपल ट्री (*फिकुस रेलीगिओसा*), कुबन-लौरेल (*फिकुस रेतुसा*), इंडियन बीच ट्री (*पोंगमिया पिन्नाटा*), साल्ट बूस मैंग्रोव (*अरथरोकनेमुम इंडिकुम*), वाइल्ड बैरी (*अल्लोफयलुस सेरटुस*), ब्लैक ओलुम (*सियगिउम कुमिनी*), नैडल बूस (*अजिमा टटेराकंथा*), गलांदुलार जाटरोफा (*जटरोफा गलांदुलिफेरा*), कैट-थोरन (*सकुटीअ मयरटिना*), आदि पाए जाते हैं;

और, अभयारण्य में पक्षियों, तितलियों, सरीसृपों, उभयचरों, स्तनधारियों की विविधता है। पक्षियों में कट्टील इग्रेट (*बुबुलुकुस इवस*), बारटेल्ड गोदविट (*लिमोसा लप्पोनीका*) आदि हैं; और अभयारण्य में सरीसृपों की लगभग 18 प्रजातियां पहचान की गईं। अभयारण्य के समुद्र तट में मुख्य सरीसृप इंडियन स्टारेड टॉरटोइस (*गेओचेलोन इलेगंस*), इंडियन चमेलेओन (*चमेलेओ जयलानिकुस*), इंडियन मॉनीटर लिजार्ड (*वर्नुस बेंगालेंसिस*), कॉमन स्किंक (*मबुया करीनाटा*), रेट स्लेक (*पटयस मुकोसुस*), सामान्य इंडियन ब्रॉन्जबैक (*डेंड्रोलाफिस ट्रीसटिस*), लुप्तप्राय ओलिवे रिडलेय टरटल (*लेपिडोचेली सोलिवाकै*), आदि हैं; उभयचरों की लगभग 9 प्रजातियां अभिलिखित की गई है जिसमें स्किप्पर फ्राग से (राना सायनोफ्ल्यकटिस), कॉमन ग्रीन फ्राग (*रानो हेक्साडाकटायला*), ट्री फ्राग (पोल्यपेदटेस मकुलाटेस) और कॉमन टोड (बुफो मेलानोस्टीकटुस), शामिल है;

और, प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खण्ड-ख वाणिज्य रूप से महत्वपूर्ण समुद्री झींगा और मछलियां जैसे पी. इनाइयसिंदीकुस, पी. मोनोडोन, हील्सा इलिसा और चानोस चानोस के लिए जलांडक और पोषण भूमि का बड़ा वेदारान्यम दलदल है। इनके अलावा अन्य समुद्रापगामी प्रजातियां हैं, दलदल की मछली जीवजंतु मुख्यतः मुल्लेट प्रजातियों द्वारा प्रतिनिधित्व करती है। जलाशयों और औद्योगिक नमक कार्यों के कम लवणता संघनित में विदेशी ओरओचरोमिस मोस्साम्बिकुस (*तिलापिया मोस्साम्बिका*) की प्रचुर मात्रा है और मानसून के दौरान अभयारण्य में जलमग्न क्षेत्र है। प्वाइंट केलीमर का तट नवंबर से फरवरी तक मछलियों और झींगों के लिए महत्वपूर्ण मछली अवतरण स्थल है;

और, प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खण्ड-ख के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योग या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागपट्टिनम जिले के तमिलनाडु राज्य में प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख की सीमा के चारों ओर 0.14 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के चारों ओर 0.14 किलोमीटर से 4.00 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 88.93 वर्ग किलोमीटर है।

(2) प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख का मानचित्र उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग, उपाबंध-IIघ, और उपाबंध-IIङ, के रूप में संलग्न हैं।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III के सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग;
- (xii) राजमार्ग; और
- (xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्वंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों की पुनः बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरणों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले अनुसमर्थित मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा- 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

(10) अनुमोदित आंचलिक महायोजना मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत ग्रहवास सम्मिलित है; और
- (v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी गलती को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त गलती को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन

क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संचिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरने, दर्रों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिष्काव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, और पर्यावरण अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों के अनुसार, किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाईयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।
- (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण)

अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	विवरण (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाईयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण जल), वायु, मृदा, ध्वनि आदि(उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: जब तक, कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो पारिस्थितिकी , संवेदी जोन में फरवरी, 2016में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैरप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		

8.	होटलों और रिजॉर्टों का वाणिज्यिक स्थापन।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी:</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथालागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।</p>
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क)से संरक्षित क्षेत्र की सीमा एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो किसी भी नये, वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी।</p> <p>परन्तु यह और कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	<p>फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।</p>
11.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	<p>लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।</p>
13.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	<p>स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।</p>

14.	विद्युत और संचार टॉवरो का परिनिर्माण और तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचनाएं।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
18.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
19.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा और क्रियाकलाप की सख्त मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
27.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत पॉलिथीन बैग का उपयोग अनुज्ञात है: विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, यह लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

32.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारिगर भी है।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला जैव विविधता का विशेषज्ञ	सदस्य;
(iv)	उप-कलेक्टर, नागापट्टीनम	सदस्य;
(v)	खंड विकास अधिकारी, वेदारान्यम	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण का विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	तहसीलदार, वेदारान्यम तालुक	सदस्य;
(x)	जिला वन अधिकारी और वन्यजीव वार्डन	सदस्य- सचिव।

6. निर्देश निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

- (3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ) 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमो या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में संलग्न प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा. सं. 25/28/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

तमिलनाडु राज्य में प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का
विवरण

पूर्व	उत्तरी सीमा अगस्थीयमपल्ली ग्राम आर.एस. सं.059 के क्र.सं.4 से आरंभ होती है और क्र.सं 12, 15 और 21 से होते हुए जाती है और इसके बाद वेदारान्यम ग्राम में जाती है और इसके बाद पुनः अगस्थीयमपल्ली ग्राम की क्र.सं. 145, 114, 181, 180 और 187 में जाती है और पूर्व की ओर जाकर और बंगाल की खाड़ी के वेदारान्यम समुद्र तट पर समाप्त होती है।
उत्तर पूर्व	उत्तर-पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के वेदारान्यम समुद्र तट से आरंभ होकर और अगस्थीयमपल्ली ग्राम के क्र.सं. 192, 198 और 199 के समानांतर बंगाल की खाड़ी के तट के साथ दक्षिण की ओर जाती है।
पूर्व	इसके बाद पूर्वी सीमा पुनः अगस्थीयमपल्ली ग्राम के क्र.सं.199 से दक्षिण की ओर जाती है और कोदीयाकदू रिज़र्व वन की पूर्वी सीमा के समीप जाती है।
दक्षिण पूर्व	दक्षिण-पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के तट के साथ जाती है और पलक जलसंधि में समाप्त होती है और इसके बाद कोदीयाकराई रिज़र्व वन के क्र.सं. 351 और 350 के साथ पश्चिम की ओर जाती है।
दक्षिण	दक्षिणी सीमा कोदीयाकराई रिज़र्व वन के क्र.सं. 350 से आरंभ होती है और क्र.सं. 349, 348, 347,346,345,344,343,342,341, 340, 339, 338, 264, 263, 262, 262, 260, 205, 204, 203, 202, 201, 190, 189, 177, 176 के साथ जाती है और इसके बाद कोदीयाकदू ग्राम आर एस सं. 60 की दक्षिणी सीमा में जाती है और क्र.सं. 79,78, 77, 76, 75, 74, 73, 72 और क्र.सं. 70 और 71 के जंक्शन तक जाती है।
दक्षिण पश्चिम	दक्षिण पश्चिमी सीमा क्र.सं. 71 से कोदीयाकदू ग्राम की दक्षिणी सीमा में आरंभ होती है और बंगाल की खाड़ी के तट के साथ लवण दलदल से होते हुए जाती है।
पश्चिमी	पश्चिमी सीमा पलक जलसंधि से आरंभ होकर और लवण दलदल और कोदीयाकदू ग्राम आर.एस.सं 60 और कोदीयाकराई ग्राम आर.एस. सं.61 की पश्चिमी सीमा के समीप होते हुए उत्तर की ओर जाती है और इसके बाद पंचनाथीकुलम आर्द्रभूमि क्षेत्र से होते हुए जाती है।
उत्तर पश्चिम	उत्तर-पश्चिमी सीमा पुनः पंचनाथीकुलम आर्द्रभूमि क्षेत्र से होते हुए जाती है और वेदारान्यम ग्राम आर.एस.सं.56 में जाती है और क्र.सं. 965, 314, 874, 889 और 887 से होते हुए जाती है और अगस्थीयमपल्ली ग्राम के क्र.सं.4 में जाकर पूर्व की ओर जाती है।

उपाबंध - IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश देशांतर और-10 किलोमीटर बफर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख का गूगल मानचित्र




उपाबंध – IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध – IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ प्वाइंट कैलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र




उपाबंध – IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश देशांतर के-10 किलोमीटर बफर के साथ प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध- IIड

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर के साथ प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खण्ड ख और इसके अवस्थान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क : प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ) डीएमएस प्रारूप	देशांतर (पू) डीएमएस प्रारूप
1.	1	उ	10°18'15"	79°49'50"
2.	2	उ	10°18'15"	79°50'29"
3.	3	उ	10°17'57"	79°50'25"
4.	4	उ पू	10°17'49"	79°50'26"
5.	5	उ	10°17'7"	79°50'20"
6.	6	उ	10°17'12"	79°50'39"
7.	7	उ	10°17'1"	79°50'48"
8.	8	उ	10°17'15"	79°51'17"
9.	9	उ	10°17'36"	79°51'53"
10.	10	उ	10°17'53"	79°52'23"
11.	11	उ	10°17'55"	79°52'26"
12.	12	पू	10°17'53"	79°52'31"
13.	13	पू	10°17'48"	79°52'33"
14.	14	द पू	10°17'39"	79°52'28"
15.	15	द चोला लाइट हाउस	10°17'21"	79°52'7"
16.	16	द	10°17'5"	79°51'43"
17.	17	द	10°16'47"	79°50'55"
18.	18	द	10°16'35"	79°50'13"
19.	19	द	10°16'40"	79°50'1"
20.	20	द प	10°16'53"	79°50'1"
21.	21	द प गेट सं. 3	10°16'58"	79°49'55"
22.	22	द प	10°17'7"	79°49'51"
23.	23	प	10°17'13"	79°49'46"
24.	24	प	10°17'16"	79°49'51"
25.	25	प	10°17'20"	79°49'51"
26.	26	प गेट सं. 2	10°17'25"	79°50'2"
27.	27	प	10°17'34"	79°50'7"
28.	28	प	10°17'43"	79°50'7"
29.	29	प	10°17'48"	79°49'57"

30.	30	उ प	10°17'55"	79°49'55"
31.	31	उ प	10°17'58"	79°49'52"
32.	32	उ प	10°18'2"	79°49'47"
33.	33	उ प	10°18'15"	79°49'50"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ) डीएमएस प्रारूप	देशांतर (पू) डीएमएस प्रारूप
1.	1	उ पू	10°22'13"	79°52'21"
2.	2	उ पू	10°20'19"	79°52'42"
3.	3	पू	10°19'16"	79°52'52"
4.	4	पू	10°18'33"	79°52'56"
5.	5	पू	10°17'60"	79°52'53"
6.	6	पू	10°17'40"	79°52'42"
7.	7	द पू	10°17'19"	79°52'14"
8.	8	द पू	10°17'10"	79°51'58"
9.	9	द पू	10°16'53"	79°51'26"
10.	10	द पू	10°16'43"	79°51'2"
11.	11	द पू	10°16'43"	79°50'54"
12.	12	द	10°16'31"	79°50'2"
13.	13	द	10°16'27"	79°48'53"
14.	14	द	10°16'27"	79°47'42"
15.	15	द	10°17'20"	79°47'34"
16.	16	द	10°18'14"	79°47'10"
17.	17	द	10°18'56"	79°47'10"
18.	18	द	10°19'38"	79°47'22"
19.	19	द	10°20'15"	79°47'48"
20.	20	द	10°20'37"	79°48'19"
21.	21	द	10°21'21"	79°48'48"
22.	22	द प	10°21'59"	79°49'40"
23.	23	द प	10°22'12"	79°50'32"
24.	24	द प	10°22'17"	79°51'26"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ प्वाइंट केलीमर वन्यजीव अभयारण्य खंड ख के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तालुक	जिला	अक्षांश (उ) डीएमएस प्रारूप	देशांतर(पू) डीएमएस प्रारूप
1.	अगस्थीयमपल्ली	राजस्व ग्राम	वेदारान्यम	नागापट्टीनम	10° 22' 23"	79°51'26"
2.	वेदारान्यम	राजस्व ग्राम	वेदारान्यम	नागापट्टीनम	10° 21' 49"	79°49'37"
3.	कोदीयाकदु	राजस्व ग्राम	वेदारान्यम	नागापट्टीनम	10° 16' 54"	79°49'30"
4.	कोदीयाकराई	राजस्व ग्राम	वेदारान्यम	नागापट्टीनम	10° 17' 44"	79°49'31"

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2020

S.O. 410(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 5644(E) dated the 30th October, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 5th November, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Point Calimere Wildlife Sanctuary which was declared as Wildlife Sanctuary in 1967 is spread over an area of 17.29 square kilometres (1728.81 Ha) and Block B, declared in 2013 is spread over an area of 5.22 square kilometres (521.36 Ha) located in Vedaranyam Taluk of Nagapattinam District in the State of Tamil Nadu. It is situated about 60 kilometres in south of the Nagapattinam where Bay of Bengal meets the Palk Strait. The total area of Sanctuary is 22.51 square kilometres;

AND WHEREAS, the Point Calimere Wildlife Sanctuary with Block B is home to the largest population of the Blackbuck in Southern India locally known as Velimaan which is one of the very few animals of the Country. The grasslands located in the southern part of the Sanctuary are the natural habitat of the blackbuck;

AND WHEREAS, the Sanctuary eco-system is a unique mix of tropical dry-evergreen forests, open grasslands and tidal mudflats, the only of its kind in the country. It harbours the single largest stretch of the unique dry-evergreen forest in the country;

AND WHEREAS, the Sanctuary and its surrounding wetlands are important wintering grounds for water birds from the North. Nearly 100 species of migratory water birds including the Greater Flamingo start arriving to the Sanctuary and its surroundings from September onwards and stay on till January before their return to the North. The Sanctuary coast has been a regular nesting site of the endangered olive ridley turtle;

AND WHEREAS, the Point Calimere Wildlife Sanctuary with Block B has good diversity of flora and fauna. Major floras found of the protected area are white babul (*Acacia leucophloea*), neem (*Azadirachta indica*), tiger bean (*Delnix elata*), peepal tree (*Ficus religiosa*), cuban-laurel (*Ficus retusa*), Indian beech tree (*Pongamia pinnata*), salt bush mangrove (*Arthrocnemum indicum*), wild beery (*Allophylus serratus*), Black olum (*Syzygium cumini*), Needle bush (*Azima tetraacantha*), glandular jatropha (*Jatropha glandulifera*), cat-thorn (*Scutia myrtina*), etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary has variety of birds, butterflies, reptiles, amphibians, mammals. Major bird species of the Sanctuary are cattle egret (*Bubulcus ibis*), bartailed godwit (*Limosa lapponica*) etc; and around 18 species of reptiles have been identified in the Sanctuary. The major reptiles are the Indian starred tortoise (*Geochelone elegans*), Indian chameleon (*Chameleo zeylanicus*), Indian monitor lizard (*Varnus bengalensis*), common skink (*Mabuya carinata*), rat snake (*Ptyas mucosus*), common Indian bronzeback (*Dendrolaphis tristis*), the endangered olive ridley turtle (*Lepidochely solivacea*), etc nests in the shore of the Sanctuary. There are about 9 species of amphibians recorded which includes skipper frog (*Rana cyanophlyctis*), common green frog (*Rana hexadactyla*), tree frog (*Polypedates maculates*) and common toad (*Bufo melanostictus*), etc;

AND WHEREAS, the Point Calimere Wildlife Sanctuary with Block B has great Vedaranyam swamp is the spawning and nursing ground for commercially important maritime prawns and fishes, such as *P. enausindicus*, *P. monodon*, *Hilsa ilisha* and *Chanos chanos*. Other than these anadromous species, the fish fauna of the swamp is mainly represented by mullet species. The marsh crab *Scylla serrata* is a commercially important species from the swamp. The exotic *Oreochromis mossambicus* (*Tilapia mossambica*) is abundant in the reservoirs and low salinity condensers of industrial salt works, and in inundated areas of the Sanctuary during the monsoon. The coast of Point Calimere is an important fish landing site for fishes and prawns from November to February;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Point Calimere Wildlife Sanctuary with Block B which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.14 kilometre to 4 kilometre around the boundary of Point Calimere Wildlife Sanctuary with Block B, in Nagapattinam district in the State of Tamil Nadu as the Point Calimere Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent of 0.14 kilometre to 4.00 kilometres around the boundary of Point Calimere Wildlife Sanctuary with Block B and the area of the Eco-Sensitive Zone is 88.93 square kilometres.
 - (2) The extent and boundary description of Point Calimere Wildlife Sanctuary with Block B and its Eco-Sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Point Calimere Wildlife Sanctuary with Block B demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID** and **Annexure-IIIE**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Point Calimere Wildlife Sanctuary with Block B and Eco-Sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III**.
 - (5) The list of villages falling in the Eco-Sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone, prepared a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent Authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Public Works Department;
 - (xii) Highways; and
 - (xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places,

horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- (10) The said Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for local communities livelihood.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.
 - (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forest.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) New construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) The solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

- (11) **Plastic Waste Management.**- The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition Waste Management.**- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**- The E-waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of Hill Slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-Sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	New commercial hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		<p>Sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated as per the applicable laws of underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-Sensitive Zone: Provided based on specific requirement, it shall be regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

- 5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector	Chairman, ex officio
(ii)	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
(iii)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(iv)	The Sub-Collector, Nagapattinam	Member;
(v)	The Block Development Officer, Vedaranyam	Member;
(vi)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	A representative from State Public Works Department	Member;
(viii)	A representative from State Pollution Control Board	Member;
(ix)	Tehsildar, Vedaranyam Taluk	Member;
(x)	District Forest Officer and Wildlife Warden	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/28/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


ANNEXURE- I

**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE FOR POINT CALIMERE WILDLIFE
SANCTUARY WITH BLOCK B IN THE STATE TAMIL NADU**

North	The Northern boundary starts from S.No.4 of Agasthiyampalli village RS. No. 059 and runs through the S. No. 12, 15 and 21 and then enters into the Vedaranyam village and then again enters into S. No. 145, 114, 181, 180 and 187 of Agasthiyampalli village and runs eastwards and ends in Vedaranyam shore of Bay of Bengal.
North East	The North-Eastern boundary starts from the Vedaranyam shore of Bay of Bengal and runs southwards along the coast of Bay of Bengal parallel to S. No. 192, 198 and 199 of Agasthiyampalli village.
East	Thence the Eastern boundary continues to run southwards from S. No. 199 of Agasthiyampalli village and runs adjacent to the Eastern boundary of Kodiyakadu RF.
South East	The South-Eastern boundary runs along the coast of Bay of Bengal and ends in Palk Strait and then runs Westwards along the S. No. 351 and 350 of Kodiyakarai RF.
South	The Southern boundary starts from the S. No 350 of Kodiyakarai RF and runs along the S. No. 349, 348, 347, 346,345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 264, 263, 262, 262, 260, 205, 204, 203, 202, 201, 190, 189, 177, 176 and then enters the southern boundary of Kodiyakadu village RS.No.60 and runs along the S. No. 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72 and till the junction of S.No.70 and 71.
South West	The South-Western boundary starts in the southern boundary of Kodiyakadu village from S. No. 71 and runs through the salt swamps along the coast of Bay of Bengal.
West	The Western boundary starts from the Palk Strait and runs Northwards through the salt swamps and adjacent to the western boundary of the RS.No.60 Kodiyakadu village and RS .No. 61 Kodiyakarai village and then runs through the Panchanathikulam Wetland area.
North West	The North-Western boundary continues through the Panchanathikulam Wetland area and enters the Vedaranyam Village RS. No. 56 and runs through the S. No. 965, 314, 874, 889 and 887 and runs eastwards to enter into the S. No. 4 of Agasthiyampalli village.


ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF POINT CALIMERE WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH 10 KM BUFFER AND LATITUDE - LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF POINT CALIMERE WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF POINT CALIMERE WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET




ANNEXURE- IID

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF POINT CALIMERE WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B ALONG WITH 10 KM BUFFER LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIE

MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF POINT CALIMERE WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B AND ITS LOCATION ALONG WITH LATITUDE- LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

**TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF POINT CALIMERE
WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B**

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	1	N	10°18'15"	79°49'50"
2.	2	N	10°18'15"	79°50'29"
3.	3	N	10°17'57"	79°50'25"
4.	4	NE	10°17'49"	79°50'26"
5.	5	N	10°17'7"	79°50'20"
6.	6	N	10°17'12"	79°50'39"
7.	7	N	10°17'1"	79°50'48"
8.	8	N	10°17'15"	79°51'17"
9.	9	N	10°17'36"	79°51'53"
10.	10	N	10°17'53"	79°52'23"
11.	11	N	10°17'55"	79°52'26"
12.	12	E	10°17'53"	79°52'31"
13.	13	E	10°17'48"	79°52'33"
14.	14	SE	10°17'39"	79°52'28"
15.	15	S Chola Light house	10°17'21"	79°52'7"
16.	16	S	10°17'5"	79°51'43"
17.	17	S	10°16'47"	79°50'55"
18.	18	S	10°16'35"	79°50'13"
19.	19	S	10°16'40"	79°50'1"
20.	20	SW	10°16'53"	79°50'1"
21.	21	SW No.3 Gate	10°16'58"	79°49'55"
22.	22	SW	10°17'7"	79°49'51"
23.	23	W	10°17'13"	79°49'46"
24.	24	W	10°17'16"	79°49'51"
25.	25	W	10°17'20"	79°49'51"
26.	26	W No.2 Gate	10°17'25"	79°50'2"
27.	27	W	10°17'34"	79°50'7"
28.	28	W	10°17'43"	79°50'7"
29.	29	W	10°17'48"	79°49'57"
30.	30	NW	10°17'55"	79°49'55"
31.	31	NW	10°17'58"	79°49'52"
32.	32	NW	10°18'2"	79°49'47"
33.	33	NW	10°18'15"	79°49'50"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	1	NE	10°22'13"	79°52'21"
2.	2	NE	10°20'19"	79°52'42"
3.	3	E	10°19'16"	79°52'52"
4.	4	E	10°18'33"	79°52'56"
5.	5	E	10°17'60"	79°52'53"
6.	6	E	10°17'40"	79°52'42"
7.	7	SE	10°17'19"	79°52'14"
8.	8	SE	10°17'10"	79°51'58"
9.	9	SE	10°16'53"	79°51'26"
10.	10	SE	10°16'43"	79°51'2"
11.	11	SE	10°16'43"	79°50'54"
12.	12	S	10°16'31"	79°50'2"
13.	13	S	10°16'27"	79°48'53"
14.	14	S	10°16'27"	79°47'42"
15.	15	S	10°17'20"	79°47'34"
16.	16	S	10°18'14"	79°47'10"
17.	17	S	10°18'56"	79°47'10"
18.	18	S	10°19'38"	79°47'22"
19.	19	S	10°20'15"	79°47'48"
20.	20	S	10°20'37"	79°48'19"
21.	21	S	10°21'21"	79°48'48"
22.	22	SW	10°21'59"	79°49'40"
23.	23	SW	10°22'12"	79°50'32"
24.	24	SW	10°22'17"	79°51'26"

ANNEXURE-IV**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF POINT CALIMERE WILDLIFE SANCTUARY WITH BLOCK B ALONG WITH GEO-COORDINATES**

S. No.	Village Name	Type of Village	Taluk	District	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	Agasthiyampalli	Revenue Village	Vedaranyam	Nagapattinam	10° 22' 23"	79°51'26"
2.	Vedaranyam	Revenue Village	Vedaranyam	Nagapattinam	10° 21' 49"	79°49'37"
3.	Kodiyakadu	Revenue Village	Vedaranyam	Nagapattinam	10° 16' 54"	79°49'30"
4.	Kodiyakarai	Revenue Village	Vedaranyam	Nagapattinam	10° 17' 44"	79°49'31"

ANNEXURE –V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-Sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.